

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/(एस/2023)/अलेसे-II/१५५

दिनांक:- 11/06/2025

कार्यालय आदेश

निम्नांकित नव-नियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों (परिवीक्षाधीन, प्रशिक्षणार्थी) को उनके आवेदन के अनुसरण में अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	रोल नम्बर	नाम क० लेखाकार (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पाठ्यक्रम का नाम एवं सत्र	संस्थान जिससे पाठ्यक्रम किया जाना है/ परीक्षा आयोजक संस्था	पदस्थापन कार्यालय
1	731895	सुरेन्द्र कुमार	एम.ए. फॉइनल (इतिहास) -2025 (स्वयं पाठी)	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।	कोषाधिकारी, उदयपुर (ग्रामीण)
2	737028	सुशीला जाट	एम.ए. फाइनल (भूगोल) -2025 (स्वयं पाठी)	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर
3	723613	सुरेन्द्र सिंह	एम.ए. फॉइनल (राजनीति विज्ञान) - 2025 (स्वयं पाठी)	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर
4	714959	संदीप कुमार	एम.ए. प्रीवियस (अर्थशास्त्र) 2024-25 (स्वयं पाठी)	महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर	जिला कोषालय धौलपुर
5	759202	संजय कुमार मीना	एम.ए. प्रीवियस (राजनीति) वर्ष-2025 (स्वयं पाठी)	स्वामी विवेकानंद सुभास्ती युनिवर्सिटी मेरठ (उत्तरप्रदेश)	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर
6	719482	सुनील अग्रवाल	एम.ए. फॉइनल (इतिहास) - 2025 (स्वयं पाठी)	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	तहसीलदार, सरदारशहर
7	756793	संदीप धायल	एम.ए. फॉइनल (हिन्दी) 2024-25 (स्वयं पाठी)	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।	मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
8	760781	संजय शर्मा	एम.ए. प्रथम-वर्ष (इतिहास) 2024-25 (स्वयं पाठी)	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर (एपीओ)
9	770257	सुनील बसवाल	एम.एससी फॉइनल (गणित) 2025-26	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा	महाप्रबंधक, पी.आई.यू. बारा
10	767134	संजीव कुमार	एम.ए. प्रथम-वर्ष (भूगोल) 2024	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा	अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड-बहरोड
11	749601	सुशील शर्मा	एम.ए. प्रीवियस (अर्थशास्त्र) 2025 (स्वयं पाठी)	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	संयुक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

12	729536	सुमित शर्मा	यू. जी. सी नेट JRF जून-2025	राष्ट्रीय परीक्षा एजेंन्सी (एन टी ए)	स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय- उदयपुर
13	730632	सोनाली बाकोलिया	एम एससी फॉइनल (गणित) -2025 (स्वयं पाठी)	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेंगा)
14	717579	सुमित्रा कस्वां	एम. कॉम. प्रथम-वर्ष (एबीएसटी) 2024-25 (स्वयं पाठी)	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	चीफ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समसा, बीकानेर

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित/ स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
- 3 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
- 4 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 5 उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 6 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और अस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 7 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 8 अध्ययन वर्ष में उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/ विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
- 9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 10 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।



(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ4(ई)अलेसे-III/२५५

दिनांक :- ११/०६/२०२५

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित विभाग/ कार्यालय (तालिका के कॉलम 6 के अनुसार)।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)